न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास मिथलेश कुमार, आरएएस

प्रकरण सं0 03/2021/251 (ए) आरटीए

01. गोविन्दराम पुत्र मेवाराम उम्र 57 वर्ष
02. भगवानाराम पुत्र मेवाराम उम्र 47 वर्ष
03. भंवरलाल पुत्र मेवाराम उम्र 45 वर्ष
04. झाबरमल पुत्र मेवाराम उम्र 42 वर्ष
समस्त जाति जाट निवासीगण झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

01. हरीराम पुत्र बालू
02. सागरमल पुत्र बालू
03. विश्वेश्वर प्रसाद पुत्र बालू
04. पतासी देवी पत्नी बालू
समस्त जाति जाट निवासीगण झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर (राज.)
05. तहसीलदार धोद जिला सीकर (राज.)

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—
1. श्री झाबरमल रायल, वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री नानूराम, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 26.08.2021

01. वकील प्रार्थीगण की ओर से आवेदन अर्न्तगत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा सं. 155 रकबा 0.9200 हेक्टेयर, खसरा सं. 183 रकबा 1.3900 हेक्टेयर वाके ग्राम झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर राज. में अवस्थित है, प्रार्थीगण के खाते कब्जे काश्त की है तथा प्रार्थीगण ही उक्त आराजी में बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। आराजी खसरा सं. 184 रकबा 0.4800 हेक्टेयर वाके ग्राम झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर में ही अवस्थित है, जो अप्रार्थीगण सं. 1 व 4 के खाते कब्जे व काश्त की भूमि है तथा बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रार्थीगण खसरा सं. 183 व 155 में काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 183 व 155 में सदैव से आवागमन करने के लिए एकमात्र रास्ता है जो खसरा सं. 184 में पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे होकर झीगर बड़ी से झीगर छोटी को जाने वाले आम रास्ते में मिलता है, का उपयोग करता रहा है। प्रार्थीगण अपने खेत की उपज लाने व ले जाने व खेत की जुताई के लिए ऊंटगाड़ा/ट्रेक्टर आदि सदैव से इसी रास्ते से लाते व ले जाते रहे है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा सं. 155 व 183 में आवागमन हेतु आवागमन का भूमि खसरा सं. 184 में पूर्वी सींव के सहारे अवस्थित रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। उक्त रास्ता कटानशुदा नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण सं. 01 ता 04 प्रार्थीगण के उक्त आवागमन के रास्ते को बंद करने के

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

एलानियां धमकी दे चुके है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 से दिनांक 24.03.2016 को उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण सं. 01 ता 04 ने साफ इंकार कर दिया तो उनको गांव के मौजिज व्यक्ति व रिश्तेदारों द्वारा समझाईश करवाई लेकिन वो नहीं माने। भूमि खसरा सं. 184 में संलग्न नक्शे में दर्शित स्थान पर क से ख 20 फीट चौड़ा रास्ता ग्राम झीगर छोटी से ग्राम झीगर बड़ी जाने वाले रास्ते से प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 183 तक कटान में अंकित करना न्यायहित में उचित व आवश्यक है तथा उक्त रास्ते बाबत माननीय न्यायालय जो भी क्षतिपूर्ति राशि तय करेगा प्रार्थीगण अदा करने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण ने आवेदन पेश कर भूमि खसरा सं. 155 व 183 में आवागमन के लिए रास्ता संलग्न नक्शे में दर्शित "क" से "ख" दिलवाये जाने के आदेश फरमाया जावें।

02. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार को प्रकरण में रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 3, 4 जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर हुये। प्रकरण में तहसीलदार, धोद के पत्र दिनांक 05.10.2017 व संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2017 अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर दिनांक 23.05.2018 को लोक अदालत केम्प कोर्ट में निर्णय किया गया। उक्त निर्णय दिनांकित 23.05.2018 के विरूद्ध अपील अप्रार्थीगण सं. 03 व 04 (अपीलांट) के द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां करने पर उक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2019 के अनुसार अपील स्वीकार कर उक्त निर्णय 23.05.2018 को अपास्त कर प्रकरण को रिमांड किया जाकर इन निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलांट की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाकर गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावें। उक्त निर्णय की पालना में पत्रावली प्रकरण में उभयपक्षकारान को सूचित कर दिनांक 04.12.2019 पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 01 ता 4 की ओर से श्री नानूराम, एड. उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्ति व सूची दस्तावेजात पेश किये। उक्त प्रारम्भिक आपत्ति का वकील प्रार्थीगण की ओर से जवाब न देकर सीधी बहस के निवेदन पर बहस सुनी जाकर न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रारम्भिक आपत्ति दिनांकित 05.02.2020 को न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.02.2020 के द्वारा खारिज किया गया। उक्त निर्णय दिनांकित 27.02.2020 के विरूद्ध निगरानी अप्रार्थी सं. 01 (गोविन्दराम) के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां करने पर उक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.12.2020 के अनुसार उक्त निगरानी को निगरानीकर्ता द्वारा नोट प्रेस में विड्रा करने पर खारिज कर पत्रावली प्रकरण को न्यायालय हाजा में पुनः लौटाई गई। उभयपक्षकारान को सूचित कर दिनांक 04.01.2021 को प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण सं. 01 ता 4 ने दिनांक 24.02.2020 को उभयपक्ष सहित उपस्थित होकर शपथ पत्र वास्ते राजीनामा पेश कर उक्त राजीनामा के अनुसार तहसीलदार, धोद से पुनः रिपोर्ट प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत हुयें। जिस पर उक्त प्रस्तुत शपथ पत्र वास्ते राजीनामा दिनांकित 24.02.2020 की प्रति तहसीलदार, धोद को भिजवाकर पुनः रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./21/1123 दिनांक 18.03.2021 के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 ने उपस्थित होकर उक्त विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का अवलोकन कर उक्तानुसार रास्ता कायम किये जाने पर सहमत होकर हस्तगत पत्रावली का निस्तारण करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

03. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने यह कथन किया कि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने से तहसीलदार की विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार रास्ते का आदेश दिया जावे।

04. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद की विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया। तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के अनुसार "ग्राम झीगर बड़ी के खसरा सं. 574/183 के लिए प्रस्तावित रास्ता पर मौके पर कोई विवाद नहीं है। खातेदारों ने आपसी सहमति से रास्ता दिया हुआ है, जो कि मौके पर चालू है। अतः प्रस्तावित रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।"

अतः तहसीलदार, धोद की विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि–

(अ) तहसीलदार, धोद की विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 15.03.2021 में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम झीगर बड़ी तहसील धोद जिला सीकर के प्रार्थी सं. 03 (भंवरलाल पुत्र मेवाराम) के खेत खसरा नम्बर 574/183 में आवागमन के लिए भूमि खसरा सं. 184 रकबा 0.4800 हेक्टेयर की पूर्वी सीमा के साथ–साथ में से 44.20 मीटर (लम्बाई) व 6 मीटर (चौड़ाई) = कुल रकबा 265 वर्गमीटर प्रदर्शित नजरी नक्शा में लाल रंग से अंकित है, रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अनुरूप नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाये।

(ब) खसरा सं. 184 में से रास्ते मे गई भूमि कम करते हुए नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) मे दर्ज किया जाये।

(स) उक्त प्रस्तावित रास्ते के बदले प्रार्थी सं. 3 (भंवरलाल पुत्र मेवाराम) की आराजी खसरा नम्बर 574/183 रकबा 1.1700 हेक्टेयर में से खसरा नम्बर 574/183 के दक्षिणी सीमा के साथ–साथ रकबा 535 वर्गमीटर (संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 15.03.2021 में लाल रंग अंकित) भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावें। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तद्नुसार पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद मु0 सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned with CamScanner